केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001
फोन: 23353503 फैक्स: 23753923

याचिका सं. 107/टीएल/2022 दिनांक: 2.5.2022

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

खावड़ा–भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड (केबीटीएल), खावड़ा–भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड, सी–105, आनंद निकेतन, नई दिल्ली–110021 द्वारा निम्नलिखित घटकों को सम्मिलित करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और रखरखाव (बीओओएम) आधार पर "फेस–I के अधीन खावड़ा पी.एस. पर 3 जीडब्ल्यू आरई अंतःक्षेपण की निकासी के लिए पारेषण योजना" (इसके बाद "पारेषण प्रणाली" या "परियोजना" के रूप में उल्लिखित) की स्थापना हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 15 की उप–धारा (1) के अधीन आवेदन किया गया है:

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी
1.	1x330 एमवीएआर 765 केवी बस रिएक्टर और 1x125 एमवीएआर 420 केवी बस रिएक्टर के साथ 3x1500 एमवीए 765/400 केवी खावड़ा (जीआईएस) की स्थापना • 765/400 केवी, 1500 एमवीए आईसीटी – 3 नंबर • 765 केवी आईसीटी बे – 3 नंबर • 400 केवी आईसीटी बे – 3 नंबर • 330 एमवीएआर 765 केवी बस रिएक्टर – 1 नंबर • 125 एमवीएआर 420 केवी बस रिएक्टर – 1 नंबर • 765 केवी रिएक्टर बे – 1 नंबर • 765 केवी लाइन बे – 2 नंबर • 400 केवी रिएक्टर बे – 1 नंबर • 400 केवी लाइन बे – 3 नंबर • 500 एमवीए, 765/400 केवी स्पेयर आईसीटी – 1 नंबर • 110 एमवीएआर, 765 केवी, 1–पीएच रिएक्टर (स्पेयर यूनिट) – 1 नंबर भावी विस्तार: निम्नलिखित के लिए स्थान • बे के साथ 765/400 केवी, आईसीटी – 5 नंबर • बे के साथ 400/220 केवी, आईसीटी – 4 नंबर • स्विचेबल लाइन रिएक्टर के साथ 765 केवी लाइन बे – 6 नंबर • 400 केवी लाइन बे – 9 नंबर • 220 केवी लाइन बे – 8 नंबर • बे के साथ 765 केवी रिएक्टर – 2 नंबर • बे के साथ 400 केवी रिएक्टर – 1 नंबर • 765 केवी बस सेक्शनलाइजर – 1 नंबर • 400 केवी बस सेक्शनलाइजर – 1 नंबर	24 मास
2.	खावड़ा पीएस (जीआईएस) – भुज पीएस 765 केवी डी/सी लाइन	
3.	खावड़ा पीएस (जीआईएस) – भुज पीएस 765 केवी डी/सी लाइन के समापन के लिए भुज पीएस पर प्रत्येक लाइन बे के 2 नंबर • 765 केवी एआईएस लाइन बे – 2 नंबर	

नोट:

I. आज की तारीख में, अदानी ग्रीन एनर्जी फोर लिमिटेड (एजीईएफएल) को प्रस्तावित खावड़ा पीएस पर 400 केवी स्तर पर 5000 मेगावाट के लिए स्टेज–I संयोजकता और 3500 मेगावाट के लिए स्टेज–II संयोजकता प्रदान की गई है। तदनुसार, एजीईएफएल की सौर पीवी परियोजना से समर्पित लाइनों की समाप्ति के लिए 400 केवी जीआईएस लाइन बे को खावड़ा पी.एस. के कार्य–क्षेत्र के अधीन शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, एजीईएफएल से 1000 मेगावाट एलटीए आवेदन प्राप्त हुआ है और वह प्रक्रियाधीन है।

II. डेढ़ ब्रेकर योजना में डायमीटर को पूरा करने के लिए जीआईएस बे (यदि कोई हो) भी टीएसपी के क्षेत्र में होगा।

2. आवेदक को अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड (एटीएल) द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर ₹1000.33 मिलियन प्रति वर्ष के निम्नतम समानीकृत पारेषण प्रभारों के साथ पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है।

3. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्रस्तावित पारेषण प्रणाली को स्थापित करने के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु सिफारिश की है।

4. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 107/टीएल/2022 में दिनांक 29.4.2022 के आदेश द्वारा ऊपर पैरा 1 में यथा उल्लिखित पारेषण प्रणाली के निर्माण के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

5. खावड़ा–भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित किए गए आवेदन की प्रति वेबसाइट www.adanitransmission.com पर देखी जा सकती है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित की जा सकती है।

6. अधिनियम की धारा 15 की उप–धारा (क) के अनुसरण में एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है कि यथा पूर्वोक्त, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव के प्रति सुझाव या आपत्ति, यदि कोई हो, अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 20.5.2022 तक उपर्युक्त पते पर भेजे जा सकते हैं। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. आयोग द्वारा आवेदन पर सम्यक् अनुक्रम में आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति, जो सुझाव या आपत्ति दायर करता है, अपने विवेक से सुनवाई में उपस्थित हो सकता है, जिसके लिए आयोग द्वारा किसी टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव